प्रेस नोट दिनांक 06.08.2026

थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़ पुलिस व स्पेशल टीम द्वारा सर्विलांस सेल के सहयोग से दो चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी के माल सहित एक अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता, दो चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए चोरी का 02 जोडी पायल सफेद धातु व 01 अदद एण्ड्रोयड मोबाइल सहित एक अभियुक्ता सना बानो गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रथम घटना-

वादिनाी निवासी ग्राम भिटारी अशोग, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ ने प्रार्थना-पत्र देकर अवगत कराया कि दिनांक 12.07.2026 को तीन अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस आए तथा घर में रखे बक्से से मंगलसूत्र एवं पायल तथा बिस्तर के पास रखा मोबाइल फोन चोरी कर लिया। वादिनी के अनुसार, चोरी के दौरान हलचल की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई और उन्होंने आरोपियों को रोकने का प्रयास किया, जिस पर उनमें से एक व्यक्ति ने अपने हाथ में लिए किसी कठोर वस्तु से उनके हाथ पर प्रहार कर दिया, जिससे उनके हाथ में चोट आ गई। घटना के उपरांत तीनों अज्ञात व्यक्ति चोरी किए गए सामान के साथ मौके से फरार हो गए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना संग्रामगढ़ मु0अ0सं0 128/2026 धारा 305(ए), 331(6) बीएनएस बनाम तीन अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दित्तीय घटना-

वादिनी निवासी ग्राम चुभकी अशोग, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ ने प्रार्थना-पत्र देकर अवगत कराया कि दिनांक 12.07.2026 को रात्रि/भोर अज्ञात चोर उनके घर का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश कर गए। इसके उपरांत घर में रखी पेटी से तीन जोड़ी चांदी की पायल, दो चांदी की जंजीर, एक चांदी का झाला, दो जोड़ी चांदी के टप तथा एक जोड़ी चांदी के झुमके एवं एक चांदी की नाक की कील चोरी कर ले गए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना संग्रामगढ़ मु0अ0सं0 130/2026 धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस बनाम तीन अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 अंशु सिंह सेंगर, का0 विजय चौहान, महिला आरक्षी पूजा यादव, म0 आरक्षी रूपा गुप्ता मय चालक का0 रामनिवास यादव व स्पेशल टीम मय हमराह द्वारा सर्विलांस सेल के सहयोग से देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त, विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 128/26 धारा 305 (A)331(6) BNS व मु0अ0सं0 130/26 धारा 305(A)331(4) BNS थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता सना बानो पत्नी मोनू कुरैशी पुत्री शेर अली निवासी कुरैशी का पुरवा राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ हाल पता निवासी ग्राम रामपुर बावली थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत वाभन बखरी मे बीजूमऊ जाने बाले मार्ग ग्राम पाटीहार से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्ता के कब्जे से 02 जोडी पायल सफेद धातु व 01 अदद एण्ड्रोयड की बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोगों में धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्ता ने बताया कि यह मोबाइल फोन व पायल कुछ दिन पहले थाना संग्रामगढ़ क्षेत्र में तीन घरों से मेरे पति मोनू कुरैशी शुन्दी निवासी कुरैशी का पुरवा राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ व विशाल सरोज पुत्र फूलचन्द निवासी चिरौजी का पुरवा रामपुर बावली थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ व मूसा पुत्र अज्ञात पता अज्ञात के साथ मिलकर चोरी किया था। यह चोरी का सामान मेरे पति ने मुझे दिया था जिसे मैं आज बेचने जा रही थी। मेरे पति ने कहा

था कि तुम हाइवे के पास मिलना फिर हम चलेगे। मै यहां पर बैठकर अपने पति मोनू का इन्तजार कर रही थी कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया चोरी का कुछ सामान मेरे पति व उनके साथियो ने अपने पास मे रखा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
1. सना बानो पत्नी मोनू कुरैशी पुत्री शेर अली निवासी कुरैशी का पुरवा राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ हाल पता निवासी ग्राम रामपुर बावली थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी-
02 जोडी पायल सफेद धातु व 01 अदद एण्ड्रोयड मोबाइल बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 अंशु सिंह सेंगर, का0 विजय चौहान, महिला आरक्षी पूजा यादव, म0 आरक्षी रूपा गुप्ता मय चालक का0 रामनिवास यादव थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

स्पेशल टीम-
प्रभारी स्पेशल टीम उ0नि0 विजेंद्र सिंह मय हमराह हे0 का भानु प्रताप सिंह, हे0का0 मनोज यादव, का माधवेश राय, का आनंद यादव, का0 पियूष यादव एवं उ0नि0 अजीत सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के प्रकरण में वांछित अभियुक्त को थाना मानिकपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त अमित सोनकर को ग्राम पाटीहार से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक-04.08.2026 को वादी निवासी मुबारकपुर पाटीहार थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ द्वारा थाना मानिकपुर पर तहरीर दिया गया कि उसकी बहन का अमित कुमार सोनकर से प्रेम-प्रसंग था तथा वह उससे विवाह करना चाहती थी। आरोप है कि अभियुक्त द्वारा शादी से इनकार करने एवं कथित रूप से अपमानजनक बाते कहने से आहत होकर दिनांक 03.08.2026 को मृतका घर से निकल गई और करेंटी गंगा पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 190/26 धारा 108 बीएनएस बनाम अमित कुमार सोनकर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा शिव नारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना मानिकपुर प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह का0 रामदेव, का0 भीमराव व रि0म0का0 हर्षिता गुप्ता द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त, विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 190/26 धारा 108 बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त अमित सोनकर पुत्र संतोष सोनकर नि0 ऐमाअस्भौ थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को ग्राम पाटीहार से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं मृतका को कई वर्षों से जानता था तथा हम दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे तथा दोनों के बीच संबंध थे। इसके बाद वह मुझ पर शादी करने का दबाव बनाने लगी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। दिनांक 03.08.2026 को उसके परिजनों ने मुझे घर बुलाकर शादी करने के लिए कहा, किन्तु मैंने स्पष्ट रूप से इनकार कर

दिया। इस दौरान उसने कहा कि यदि मैं उससे शादी नहीं करूँगा तो वह जान दे देगी। गुस्से में मैंने उससे कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं है और मैं किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूँगा। इसके बाद मैं वहाँ से चला आया। अगले दिन मुझे पता चला कि उसने करेंटी गंगा पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली है तथा उसके परिजनों ने मेरे विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है कि यदि मैं उससे ऐसी बातें न कहता, तो शायद वह आत्महत्या नहीं करती। इसके बाद मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपता फिर रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अमित सोनकर पुत्र संतोष सोनकर नि0 ऐमाअस्भौ थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह का0 रामदेव, का0 भीमराव व रि0म0का0 हर्षिता गुप्ता थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।